न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/48/2019	2019/00097	22.07.2019	06.08.2024

1.हीरालाल पुत्र श्री मूल्या उर्फ मूलचन्द जाति कुम्हार निवासी पाली तहसील रैणी, जिला अलवर।

—अपीलान्ट

बनाम

1.देवीसहाय पुत्र रामसहाय जाति प्रजापत निवासी पाली तहसील रैणी अलवर (राज०)।

—रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 01.08.2018
न्यायालय तहसीलदार साहब रैणी जिला अलवर ।

उपस्थितः—

01.श्री अजीत यादव —वकील अपीलाण्ट
02.श्री प्रदीप दीक्षित —वकील रेस्पोडेन्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 01—08—2018 न्यायालय तहसीलदार साहब रैणी जिला अलवर से व्यथित होकर पेश की है। अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट देवीसहाय ने एक प्रार्थनापत्र अधीनस्थ अदालत तहसीलदार महोदय रैणी के समक्ष इस आशय का पेंश किया कि उसके खेत की भूमि पर जोल का रास्ता अपीलान्ट /अप्रार्थी हीरालाल ने बन्द कर दिया है तथा प्रार्थी व अप्रार्थी सह—खातेदार है और भूमि को बहामी तौरपर बंटवारा कर लिया है और प्रार्थी के हिस्से में खसरा नम्बर 1099 व 1100 व चाह खसरा नम्बर 1102 वाके पाली तहसील रैणी में आने जाने का रास्ता 15 फिट चोडा खसरा नम्बर 1097, 1098 वाके पाली तहसील रैणी के मध्य होकर शामलात में छोडा हुआ था जो कि अप्रार्थी /अपीलान्ट ने अवरूद्ध कर दिया है रास्ता खुलवाया जावे आदि पर तहत अदालत ने प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी/अपीलान्ट को नोटिस जारी किये जिन पर अप्रार्थी/अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में नोटिस की पालना में उपस्थित आया उसके बावजूद प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी/अपीलान्ट की गैरहाजरी दर्ज कर विधि के विरूद्ध प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट से मिल्लत कर खिलाफ मौका निर्णय दिनांक 1—8—2018 को पारित किया जिसके विरूद्ध निम्न वजूहात के साथ अपील अपीलान्ट पेश है। न्यायालय में दिनांक 25—7—2018 को उपस्थित होकर जवाब व साक्ष्य का मौका चाहा तथा अपीलान्ट के द्वारा एक प्रार्थनापत्र बाबत मौका कमीश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने हेतु पेश किया जिस पर अधीनस्थ अदालत ने अपीलान्ट के प्रार्थनापत्र को लेकर मौका कमीश्नर सेरिपोर्ट मंगवाने के बाद कार्यवाही का आश्वासन दिया तथा चक्कर लगाने के बावजूद अपीलान्ट को उक्त निर्णय की जानकारी नहीं दी बल्कि अपीलान्ट को मौका रिपोर्ट आने पर पफैसला किया जावेगा, बताया जाता रहा अब दिनांक 10—7—2019 को रेस्पोडेन्ट के द्वारा आदेश की जानकारी लेने पर अपीलान्ट ने अपने वकील साहब से सम्पर्क करें नकल के लिए आवेदन किया जो नकल दिनांक 16—07—2019 को प्राप्त हुई जिससे अपील हाजा बिना किसी देरी के न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश है जिससे दिनांक एक 107—15 16. संक्षातम्य

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

01–08–2018 से दिनांक 10–7–2019 का समय वकील साहब से सम्पर्क करने व नकल मिलने में कन्डोन फरमाया जाकर अपील अन्दर मियाद श्रीमान के समक्ष पेश है फिर भी रफाये हुज्जत से बचने के लिऐ दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र अलहदा से पेश है।

अधीनस्थ अदालत तहसीलदार साहब रेणी (अलवर) का आदेश है जो न्यायालय श्रीमान के द्वारा श्रवण योग्य है। अपीलान्ट के हाजिर होने कके बावजूद अपीलान्ट की गैरहाजरी दर्ज कर अपीलान्ट के जवाब व साक्ष्य का मौका बन्द किया जाकर अधीनस्थ अदालत ने निर्णय पारित किया है जो तथ्य काबिल गौर अदालत श्रीमान है। अधीनस्थ अदालत के द्वारा प्रकरण दिनांक 16–7–2018 को दर्ज कर दिनांक 1–8–2018 को निर्णय किया है जिसमें अपीलान्ट के प्रार्थनापत्र के बावजूद मौके की रिपोर्ट नहीं मंगवाकर तथा अपीलान्ट व रस्पोडेन्ट की कोई साक्ष्य दर्ज नहीं की जाकर खिलाफ मौका व खिलाफ कानून निर्णय पारित किया हैं जो निर्णय खारिज होने योग्य है। मौका रिपोर्ट दिनांक 1–05–2018 व 11–7–2018 प्रकरण दर्ज से पूर्व की है तथा अपीलान्ट की गैर मौजूदगी तथा अपीलान्ट को सूचना के बिना तहसीलदार जी ने कमरे में बेठकर मौका के विरूद्ध बनाई है जिनको आधार मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है जो काबिले निरस्त है। प्रार्थनापत्र में रेस्पोडेन्ट के द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1099 1100 व चाह खसरा नम्बर 1102 वाके पाली तहसील रैणी के लिए आने जाने के बाबत अपीलान्ट की आराजी में रास्ता का अनुतोष चाहा है जबकि आराजी खसरा नम्बर 780 गैर मुमकीन रास्ता के लगती हुई रेस्पोडेन्ट की आराजी है और जिस रास्ते में रेस्पोडेन्ट आता जाता रहता है। अपीलान्ट की आराजी में से रेस्पोडेन्ट की आराजी बाबत कभी रास्ता चालू नही है। रेस्पोडेन्ट अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की आड में नया रास्ताकायम करना चाहता है जिस बाबत अपीलान्ट ने एक दावा श्रीमान उप जिलाधीश महोदय रैणी के समक्ष भी पेश किया जिसमें दिनांक 4–5–2018 को रस्पोडेन्ट व अधीनस्थ अदालत को स्थगन आदेश से. पाबन्द फरमाया कि अपीलान्ट की आराजी खसरा नम्बर 1098 1097, 1101, 103 वाके पाली तहसील रैणी में अपीलान्ट को उसके हिस्से से बेदखल कर कब्जा ना करें एवं नवीन रास्ता कायम न करें व कार्य काश्त में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत ना करें जिसकी सूचना रेस्पोडेन्ट व अधीनस्थ अदालत को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस भेजी जो सूचना रेस्पोडेन्ट व अधीनस्थ अदालत को मिल गई उसके बावजूद खिलाफ कानून, रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय से निर्णय पारित करवाया जो काबिले निरस्त है। जो स्थगन आदेश आजतक प्रभावी है।

रेस्पोडेन्ट की आराजी गैर मुमकीन रास्ता खसरा नम्बर 780 के लगती हुई है जिसमें वह हमेशा से आता जाता रहा है और जिसमें रेस्पोडेन्ट को कोई सुखाधिकार का हनन नही हो रहा है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट की संयुक्त खातेदारी की आराजी की पैमाईश करवाया जानान्यायहित में आवश्यक था जिससे यह स्पष्ट होमा कि अपीलान्ट के हिस्से की आराजी म रास्ता कीजमीन अलग से है अथवा नही। जिससे सुविधा का सन्तुलन भी अपीलान्ट के पक्ष में है। अधीनस्थ अदालत ने अपने निर्णय में रास्ता घोषित किया है जबकि रास्ता घोषित करने काअधिकार अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त नही है। अतः अपील अपीलान्ट मन्जूर फरमाई जाकर अधीनस्थ अदालत का आदेश दिनांक 01–08–2018 को निरस्त फरमाया जावे एवं अन्य उचित आज्ञा जो न्यायालय न्याय संगत समझे प्रदान किया जावे। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रैस्पोडैन्ट्स जरिये अभिभाषक उपस्थित। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपील में तथ्य निहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं वकील उभयपक्ष की बहस के बिन्दुओं पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया। राजस्व रिकॉर्ड का मिलान किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खेतों में आने–जाने का सुखाचार के तहत सुविधा का निर्देश है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश विधिसम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 01.08.2018 में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि०
राजस्थान
सरकार
प्रशासन (द्वितीय) अलवर